मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ

की

123वीं बोर्ड बैठक

दिनांक 06—04—2023

का

कार्यवृत्त

मेरठ विकास प्राधिकरण बोर्ड की 123वीं बैठक दिनांक 06–04–2023 का कार्यवृत्त।

मेरठ विकास प्राधिकरण बोर्ड की 123वीं बैठक आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ के सभागार में आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ/अध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ की अध्यक्षता में दिनांक 06–04–2023 को सम्पन्न हुई। सर्वप्रथम सचिव, मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा अध्यक्ष महोदया तथा सभी उपस्थित मा0 सदस्यों का स्वागत किया गया। बैठक में सचिव एवं निम्नलिखित सदस्यों द्वारा प्रतिभाग किया गया:–

1.	श्री अभिषेक पाण्डेय,	उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।	उपाध्यक्ष।
2.	श्री दीपक मीणा,	जिलाधिकारी, मेरठ।	सदस्य।
3.	श्रीमती ममता मालवीय	अपर नगर आयुक्त प्रतिनिधि नगर आयुक्त, नगर निगम, मेरठ।	सदस्य।
4.	श्री अतुल कुमार सिंह,	अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, मेरठ प्रतिनिधि–विशेष सचिव, वित्त व्यय नियन्त्रण अनुभाग–8, लखनऊ।	सदस्य।
5.	श्री कृष्ण मोहन,	सहयुक्त नियोजक, (प्रतिनिधि–मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ एवं प्रतिनिधि आयुक्त एन0सी0आर0 गाजियाबाद) सम्भागीय नियोजन खण्ड, मेरठ।	सदस्य
6.	श्री मोहित वर्मा,	अधिशासी अभियन्ता, प्रतिनिधि अधीक्षण अभियन्ता, प्रथम मण्डल, उ0प्रदेश जल निगम, मेरठ।	सदस्य।
7.	श्री राजेन्द्र बहादुर यादव	अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत नगरीय, मेरठ।	सदस्य।
8.	श्री राजीव कुमार	अधीक्षण अभियन्ता द्वितीय वृत्त, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, मेरठ प्रतिनिधि आवास आयुक्त, उत्तर प्रदेश आवास एवं	सदस्य

		विकास परिषद, लखनऊ।	
9.	श्री नैन सिंह तोमर,	शासन द्वारा नामित सदस्य, गली नं0 01,मकान नं0 8, नेहरू नगर, गढ़ रोड़, मेरठ।	सदस्य।
10.	श्रीमती वर्षा कौशिक,	शासन द्वारा नामित सदस्य, के–03, के ब्लॉक, विद्या मन्दिर इण्टर कालेज, शास्त्रीनगर, मेरठ।	सदस्य।
11.	श्री चरण सिंह लिसाड़ी,	शासन द्वारा नामित सदस्य, ग्राम व पोस्ट लिसाड़ी, मेरठ।	सदस्य।
12.	श्री चन्द्रपाल तिवारी,	सचिव, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।	संयोजक / सदस्य।

कोरम पूर्ण है। अतःएव अध्यक्ष महोदय द्वारा बैठक की कार्यवाही आरम्भ करने के निर्देश दिये गये।

122वीं बोर्ड बैठक दिनांक 23–02–2023 के कार्यवृत्त की पुष्टि–

माननीय बोर्ड द्वारा दिनांक 23–02–2023 को सम्पन्न 122वीं बोर्ड बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।

122वीं बोर्ड बैठक दिनांक 23–02–2023 में मद सं0 11 पर प्रस्तुत प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुपालन–

मद सं0	विषय	अनुपालन आख्या	बोर्ड द्वारा प्रदत्त निर्देश
1	2.	3.	4.
11	मेरठ विकास प्राधिकरण की योजनाओं में संचालित सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लान्टस् को नगर निगम, मेरठ को हस्तान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव।	122वीं बोर्ड बैठक के अनुपालन में प्राधिकरण की समस्त योजनाओं में संचालित सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लान्टस् को नगर निगम, मेरठ को हस्तान्तरित किये जाने हेतु उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण के कार्यालय पत्रांक संख्या 679 / प्र0अधि0(वि0 / यॉ0) / 2022–23 दिनांक 22.03.2023 द्वारा नगर आयुक्त महोदय को	बोर्ड द्वारा अनुपालन आख्या अवलोकित की गयी तथा सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट 15 दिन के अन्दर हस्तान्तरित करने के निर्देश दिये गये।

		अनुरोध किया गया है, जिसके क्रम में जलकल नगर निगम, मेरठ की टीम को मेरठ विकास प्राधिकरण के अभियन्ताओं द्वारा मेरठ विकास प्राधिकरण की योजनाओं में संचालित सभी 13 एस0टी0पी0 का संयुक्त स्थल निरीक्षण दिनांक 23–03–2023, 25–03–2023 व 27–03–2023 को करा दिया गया है। मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा सीवरेज ट्रीटमेन्टस् प्लान्टस् के हस्तान्तरण हेतु पूर्व में जारी किये गये पत्रों की प्रतियाँ कार्यालय के पत्रांक सं0 630/प्र0अधि0(वि0/यॉ0)/2022–23 दिनांक 09–02–2023 के द्वारा महाप्रबन्धक (जल) नगर निगम, मेरठ को उपलब्ध करा दी गयी है। नगर निगम मेरठ द्वारा 13 एस0टी0पी0 मय सीवरेज़ हस्तान्तरण की कार्यवाही की जानी है।	

123वीं बोर्ड बैठक दिनांक 06–04–2023 में प्रस्तुत प्रस्ताव पर निर्णय–

मद सं0	विषय	निर्णय
1.	मेरठ महायेजना प्रारूप 2031 पर प्राप्त आपत्तियों एवं सुझावों हेतु शासन द्वारा गठित समिति	बोर्ड के समक्ष मेरठ महायोजना–2031 (ड्राफ्ट) का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। मेरठ महायोजना–2031 (ड्राफ्ट) पर 611 सुझाव एवं आपत्तियाँ प्राप्त हुई जिसकी शासन द्वारा गठित समिति की सुनवाई उपरान्त निस्तारण किया गया तथा मेरठ

	की सुनवाई उपरान्त समिति की संस्तुति के अनुसार मेरठ महायोजना–2031 (प्रारूप) का मा0 बोर्ड के समक्ष प्रस्तुतिकरण किये जाने के सम्बन्ध में।	महायोजना 2031 (प्रारूप) पर समिति की संस्तुतियाँ प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष रखी गयी। बोर्ड द्वारा प्रस्ताव पर गहन चर्चा उपरान्त मेरठ महायोजना–2031 (ड्राफ्ट) में यू0पी0ग्लोबल समिट के दौरान प्राप्त हुए निवेशकों के प्रस्तावों के परिपेक्ष्य में महायोजना 2031(प्रारूप) का परीक्षण कर पुनः बोर्ड में प्रस्तुत करने के निर्देश प्रदान किये गये तथा यह भी निर्देश दिये गये कि एस0डी0ए0 परतापुर में लगाये गये लैण्डयूज पर जन सामान्य से आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं किया गया है। अतः लगाये गये लैण्डयूज पर जन सामान्य से सुझाव प्राप्त कर, उनका निस्तारण करने के उपरान्त प्रस्तुत किया जाये।
2.	अध्यक्ष/आयुक्त, मेरठ विकास प्राधिकरण/मेरठ मण्डल, मेरठ के कार्यालय में आउट सोर्सिंग के माध्यम से रूपये 25,000/– मानदेय पर कम्प्यूटर सहायक के रूप में रखे जाने के सम्बन्ध में।	बोर्ड द्वारा अनुमति प्रदान की गयी। (For 1 year from April 2023)

अन्त में प्राधिकरण बोर्ड के सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त क रते हुए धन्यवाद सहित बैठक समाप्त की गयी।

(चन्द्र पाल तिवारी)
सचिव,
मेरठ विकास प्राधिकरण,

(अभिषेक पाण्डेय)
उपाध्यक्ष,
मेरठ विकास प्राधिकरण,

20/3/23
(सेल्वा कुमारी जे0)
अध्यक्ष,
मेरठ विकास प्राधिकरण बोर्ड,